प्रथम अपीलीय अधिकारी ... 18-1-17

सूचना का अधिकार

18-01-2017

# आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक :– एफ 20(101/127)लोसू/आकाशि/2005/पार्ट/ दिनांकः–

## आदेश

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के सेक्शन 19 (1) के तहत अतिरिक्त आयुक्त को प्रथम अपीलीय अधिकारी के रूप में तत्काल प्रभाव से पदाभिहित किया जाता है।

(आशुतोष ए.टी. पेडणेकर)
आयुक्त, कॉलेज शिक्षा एवं विशिष्ट शासन सचिव,
उच्च शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक :– एफ 20(101/127)लोसू/आकाशि/2005/पार्ट/48-56 दिनांकः– 16-1-17

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, मुख्य सूचना आयुक्त, राजस्थान सूचना आयोग, झालाना लिंक रोड़, ओ.टी.एस. चौराहा, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर –302017
5. समस्त राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं संयुक्त निदेशक, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
6. मुख्यलेखाधिकारी, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
7. उपविधि परामर्शी, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
8. समस्त प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, राजस्थान।
9. विभागीय वेबसाईट प्रभारी, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।

(आशुतोष ए.टी. पेडणेकर)
आयुक्त, कॉलेज शिक्षा एवं विशिष्ट शासन सचिव,
उच्च शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।

18.01.2017

प्रभारी
सू. लोकसूचना
18.1.17

सूचना का अधिकार

# आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक :- एफ 20(101/127/16)लोसू/आकाशि/2005/2471-2474 दिनांक:- 5-12-16

## आदेश

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उप शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-3) विभाग, जयपुर के पत्र दिनांक 8-7-16 ने संयुक्त शासन सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक प. 24(38)तशि/2012 दिनांक 20-6-16 के द्वारा D.B. PIL Petition No. 14730/2014 Suo Motu V/S State of Rajasthan Date of Order 8.9.2015 की छायाप्रति संलग्न कर सूचना का अधिकार 2005 के सेक्शन-4 में उल्लेखित स्वघोषणा की पालना सुनिश्चित करने हेतु भिजवाया गया है।

समस्त लोक सूचना अधिकारी एवं प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय राजस्थान को निर्देशित किया जाता है कि **"सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 के अन्तर्गत"** नाम से निम्नलिखित बिन्दुओं की सम्पूर्ण पालना में करते हुये अपने-अपने महाविद्यालय की विभागीय वेबसाईट पर तत्काल प्रभाव से अपलोड करें :-

लोक प्राधिकारियों की बाध्यताएँ :-

(क) अभिलेखों को सूचीबद्ध, अनुक्रमणिकाबद्ध, कम्प्यूटरीकृत किया जाना।

(ख) स्व-घोषणाएँ (17 बिन्दुओं) :-

(1) अपने संगठन की विशिष्टियाँ, कृत्य और कर्तव्य।

(2) अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य।

(3) विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित है।

(4) अपने कृत्यों के निर्वहन के लिये स्वयं द्वारा स्थापित मापमान।

(5) अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिये प्रयोग किये गये नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख।

(6) ऐसे दस्तावेजों के, जो उसके द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन है, प्रवर्गों का विवरण।

(7) किसी व्यवस्था की विशिष्टियाँ, जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्वियन के संबंध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिये या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिये विद्यमान है।

(8) ऐसे बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के, जिनमें दो या अधिक व्यक्ति है, जिनका उसके भागरूप में या इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिये गठन किया गया है और इस बारे में कि क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिये खुली होंगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत तक जनता की पहुंच होगी, विवरण।

(9) अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका।

(10) अपने प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक, जिसके अन्तर्गत प्रतिकर की प्रणाली भी है, जो उसके विनियमों में यथा उपबंधित हो।

(11) सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किये गये संवितरणों पर रिपोर्टों की विशिष्टियाँ, उपदर्शित करते हुये अपने प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट।

(12) सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के फायदाग्राहियों के ब्यौरे सम्मिलित है।

(13) अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं की विशिष्टियाँ।

(14) किसी इलैक्ट्रोनिक रूप से सूचना के संबंध में ब्यौरे, जो उसको उपलब्ध हो या उसके द्वारा धारित हो।

(15) सूचना अभिप्राप्त करने के लिये नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियाँ, जिनमें किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के, यदि लोक उपयोग के लिये अनुरक्षित है तो, कार्यकरण घंटे

....2.

(16) लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियाँ।

(17) ऐसी अन्य सूचना, जो विहित की जाए, प्रकाशित करेगा और तत्पश्चात् इन प्रकाशनों को प्रत्येक वर्ष में अद्यतन करेगा।

(ग) महत्वपूर्ण नीतियों की विरचना करते समय या ऐसे विनिश्चियों की घोषणा करते समय, जो जनता को प्रभावित करते हो, सभी सुसंगत तथ्यों को प्रकाशित करेगा।

(घ) प्रभावित व्यक्तियों को अपने प्रशासनिक या न्यायिककल्प विनिश्चयों के लिये कारण उपलब्ध करायेगा।

(2) प्रत्येक लोक अधिकारी का निरन्तर यह प्रयास होगा कि वह उप–धारा (1) के खंड (ख) की अपेक्षाओं के अनुसार स्वप्रेरणा से, जनता को नियमित अन्तरालों पर संसूचना के विभिन्न साधनों के माध्यम से, जिनके अन्तर्गत इन्टरनेट भी है, इतनी अधिक सूचना उपलब्ध कराने के लिये उपाय करें जिससे कि जनता को सूचना प्राप्त करने के लिये इस अधिनियम का कम से कम अवलंब लेना पड़े।

(3) उप–धारा (1) के प्रयोजन के लिये प्रत्येक सूचना को विस्तृत रूप से और ऐसे प्रारूप और रीति में प्रसारित किया जाएगा, जो जनता के लिये सहज रूप से पहुँच योग्य हो।

(4) सभी सामग्री को, लागूत प्रभावशीलता, स्थानीय भाषा और उस क्षेत्र में संसूचना की अत्यन्त प्रभावी पद्धति को ध्यान में रखते हुए प्रसारित किया जाएगा तथा सूचना, यथास्थिति केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी के पास इलेक्ट्रोनिक रूप में लभ्य सीमा तक निःशुल्क या माध्यम की ऐसी लागत पर या ऐसी मुद्रण लागत कीमत पर जो विहित की जाए, सहज रूप से पहुँच योग्य होनी चाहिए। **स्पष्टीकरण** :– उप–धारा (3) और उप–धारा (4) के प्रयोजनों के लिये "प्रसारित" से सूचना पट्टों, समाचार पत्रों, लोक उद्घोषणाओं, मीडिया प्रसारणों, इन्टरनेट या किसी अन्य माध्यम से जिसमें किसी लोक प्राधिकारी के कार्यालयों का निरीक्षण सम्मिलित है, जनता को सूचना की जानकारी देना या संसूचित करना अभिप्रेत है।

(आशुतोष ए.टी. पेडणेकर)
आयुक्त, कॉलेज शिक्षा एवं विशिष्ट शासन सचिव,
उच्च शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक :– एफ 20(101/127/16)लोसू/आकाशि/2005/2471-2474 दिनांक– 5-9-2016

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उप शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप–3) विभाग, राजस्थान, जयपुर के पत्र क्रमांक प. 5(7)शिक्षा–3/2015 पार्ट दिनांक 8–7–16 के संदर्भ में।
2. संयुक्त शासन सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर के पत्र क्रमांक प. 24(38)तशि/2012 दिनांक 20–6–16 के संदर्भ में।
3. उप सचिव, राजस्थान सूचना आयोग, झालाना लिंक रोड, ओ.टी.एस. चौराहा,जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर–302017
4. समस्त राजकीय महाविद्यालय (विधि महाविद्यालयों सहित), राजस्थान।
5. वेब प्रभारी को अपलोड हेतु।

(आशुतोष ए.टी. पेडणेकर)
आयुक्त, कॉलेज शिक्षा एवं विशिष्ट शासन सचिव,
उच्च शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।